भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर‍ शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्या : 157

उत्तर देने की तारीख : 16 दिसम्‍बर, 2013

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियिम में संशोधन**

**\*157. श्री के॰ एन॰ बालगोपालः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार, जैसा कि कंपनी अधिनियिम में उपबंध किया गया है, देश में विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए उनके द्वारा कंपनियों के रूप में कार्य करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियिम में कोई संशोधन करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री एम. एम. पल्‍लम राजू)**

(क) और (ख): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री के॰ एन॰ बालगोपालः द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 157 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में संदर्भित विवरण।**

(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, सरकार ने विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (विदेशी शिक्षा संस्‍थाओं की स्‍थापना एवं परिसरों का संचालन) नियमावली, 2013 तैयार की है। प्रस्‍तावित नियमावली के अंतर्गत, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विदेशी शिक्षा प्रदाता (एफईपी) के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद विदेशी शिक्षा संस्‍थाएं (एफईआई) भारत में विदेशी शिक्षा संस्‍थाओं के परिसर खोल सकती हैं जो कतिपय पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्‍यधीन होगा। शिक्षा संस्‍थाओं को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 'अलाभकारी' (नॉट-फॉर-प्राफिट) कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

इस नियमावली में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल उच्‍च गुणवत्‍तापरक विदेशी शिक्षा संस्‍थाओं को ही देश में परिसरों की स्‍थापना करने तथा शिक्षा सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाए क्‍योंकि वैश्विक रैकिंग के अनुसार केवल 400 उत्‍कृष्‍ट संस्‍थाएं ही देश में परिसर खोलने के लिए पात्र होंगी। उच्‍च गुणवत्‍तापरक विदेशी शिक्षा संस्‍थाओं की मौजूदगी से उच्‍चतर शिक्षा प्रणाली की मौजूदा दाखिला क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी; देश से प्रतिभा पलायन तथा संसाधनों के पलायन को रोकने; अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर की शिक्षा एवं अनुसंधान सुविधाएं उपलब्‍ध कराने; सहयोग एवं भागीदारी इत्‍यादि के माध्‍यम से उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं की गुणवत्‍ता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे उच्‍चतर शिक्षा प्रणाली में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सहित उच्‍चतर शिक्षा प्रणाली में उच्‍चतर निवेश की सुविधा मिलेगी। विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के प्रवेश एवं संचालन से, भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक स्‍तर पर प्रतिष्ठित एवं गुणवत्‍तापरक अकादमिक संस्‍थाओं की भारतीय शिक्षा क्षेत्र में अपेक्षाकृत निम्‍न लागत पर उपलब्‍धता का लाभ मिलेगा। इन विदेशी शिक्षा प्रदाताओं से भारत में उच्‍चतर शिक्षा की मौजूदा क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी।

\*\*\*\*\*